मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक

चर्चा में क्यों?

7 दिसंबर, 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों (संरक्षित क्षेत्रों) एवं टाईगर रिज़र्व के कॉरिडोर से ग्रामों के पुनर्वास के लिये राज्य योजना में मुआवजा की प्रति परिवार पैकेज राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए अंगीकार करने की मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- वन विभाग की ग्रामों के पुनर्वास के लिये 'मुआवजा'योजना के लिये वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिये राशि 75 करोड़ की स्वीकृति की गई।
- कैंपा मद से वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कुल 4 वर्ष के लिये 285 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की जाने का अनुमोदन भी किया गया।
- मंत्रि-परिषद ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ग्वालियर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये ग्राम लोहारपुर तहसील मुरार, ज़िला ग्वालियर में स्थित कुल रकबा 57.952 हेक्टेयर शासकीय भूमि, शून्य प्रब्याजि एवं एक रुपया वार्षिक भू-भाटक पर आवंटन करने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 'छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा'का नाम 'राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा'किया जाने के प्रस्तावित संशोधन विधेयक के प्रस्तुत प्रस्ताव को मान्य किया गया।
- मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर व्यापार मेला, ग्वालियर का आयोजन सुचारू रूप से संचालित किया करने के दृष्टिगत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम में शब्द 'वाणिज्य एवं उद्योग विभाग' के स्थान पर शब्द 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग'प्रतिस्थापित करने के लिये ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2021 को अनुमोदन किया।
- इस विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत कर पारित कराने की सभी कार्यवाही करने के लिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग को अधिकृत किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/council-of-ministers-meeting-under-the-chairmanship-of-chief-minister